Dr. Shyam Shankar
Associate Professor
Deptt. of Political Science
Raja Singh College, Siwan

For - B A (Hons) Part - II

कार्यपालिका का तुलनात्मक अध्ययन :
भारत एवं चीन

कार्यपालिका सरकार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण दूसरा अंग है। विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित कराने एवं देश की शासन चलाने की पूरी जिम्मेवारी कार्यपालिका पर ही होती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ बहुदलीय प्रणाली कायम है तथा यहाँ संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित है जो वास्तव में नाममात्र की कार्यपालिका है तथा राष्ट्रपति को प्रदत्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग वास्तव में संसद में बहुमत प्राप्त दल के नेता प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। जबकि चीन में साम्यवादी शासन प्रणाली है। वहाँ एकदलीय प्रणाली कायम है। एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाईना है। चीन की सत्ता इसी दल के नेता के हाथों में होती है।

भारत, अमेरिका, स्विटजरलैण्ड, फ्रान्स आदि की तरह चीन भी गणतांत्रिक देश है। चीन के राष्ट्रपति को ही चीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया गया है। चीन की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्य परिषद को शामिल किया जाता है। चीनी संविधान के अनुसार चीन के राष्ट्रपति का पद शक्तिशाली नहीं है क्योंकि राज्य परिषद के पास वास्तविक सत्ता है। राज्य परिषद के माध्यम से ही राष्ट्रपति अपने कार्यों का निष्पादन करता है।

उसे राष्ट्रीय जनवादी कॉंग्रेस (चीनी विधा
से पास किये गये बिलो पर निषेधाधिकार
भी नहीं है परन्तु यह तथ्य ध्यान में रखना
चाहिए कि दल का सर्वोच्च नेता होने के
कारण उसकी स्थिति का शक्तिशाली होना
स्वभाविक है। चीन के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री,
उप प्रधानमंत्री, राज्यपरिषद के अन्य मंत्रीगण
राज्य परिषद के महासचिव आदि को नियुक्त
करने या पदमुक्त करने का अधिकार है लेकिन इसे
अवश्य राष्ट्रीय जनवादी कॉंग्रेस या उसकी
स्थायी समिति से अनुमोदित होना चाहिए। राष्ट्रपति
की अनुपस्थिति मे उपराष्ट्रपति उसकी भूमिका का
निर्वाह करता है। चीन का राज्य परिषद चीनी
कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति तथा चीनी
प्रशासन का प्रमुख अंग है। प्रधानमंत्री राज्य
परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके नीचे उपप्रधान
मंत्रीगण, मंत्रीगण, मंत्रालयो व आयोगों के अध्यक्ष,
एक महासचिव तथा एक आडीटर जनरल होता है।
प्रधानमंत्री इसकी बैठक बुलाता है तथा उसकी
अध्यक्षता करता है। इसका कार्यकाल राष्ट्रीय
जनवादी कॉंग्रेस के कार्यकाल से जुड़ा है अर्थात
पॉंच वर्ष है। राज्यपरिषद को राष्ट्रीय जनवादी
कॉंग्रेस तथा उसकी अनुपस्थिति मे उसकी स्थायी
समिति के प्रति उत्तरदायी रखा गया है।

इस प्रकार चीनी ~~कार्यपालि~~
कार्यपालिका का रूप न तो संसदीय है और न ही
अध्यक्षीय है और न ही इन दोनों का मिश्रण ही
है। साम्यवादी व्यवस्था होने के कारण समस्त व्यवस्था
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की इच्छानुसार मे काम करती

Scanned with CamScanner